न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का रिटपुरी बनाम शिवचरण s/o रामधन जाटव

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट सियाहडी

प्रकरण सँख्या :– 63/2018

निर्णय दिनाँक :– 28/5/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सियाहडी की आ.ख.न. 1529 कुल रकबा 0.20 किस्म जमीन गैरमुमकिन में से 0.01 रकबे पर श्री शिवचरण s/o रामधन जाटव ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का रिटपुरी द्वारा दिनांक 15/5/18 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय साईट भू.अ.निरी. रिटपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी शिवचरण s/o रामधन जाति जाटव निवासी सियाहडी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी का पुत्र शिवचरण उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 1529 रकबा 0.20 में से 0.01 रकबे किस्म गैरमु० मकान है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा नॉनसाम्ल [illegible] रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 27 Paise का 50 गुणा 14/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मौके मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी रिटपुरी भू.अ.निरी. रिटपुरी को लिखा जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)
तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)